"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2009— आषाढ़ 26, शक 1931

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जून 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन, भा. प्र. से. (1990), सचिव, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासुपर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री जैन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत आयुक्त, बिलासपुर संभाग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. श्री सुब्रत साहू, भा. प्र. से. (1992) सचिव, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक /2.—श्री भुवनेश यादव, भा. प्र. से. (2006), सहायक कलेक्टर, रायगढ़ को उनके वेतनमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर निगम, रायगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक /2.—श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा. प्र. से. (1991), सचिव, वित्त विभाग एवं आयुक्त, रोज़गार गारंटी योजना को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त सह संचालक, संस्थागत वित्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2009

क्रमांक ई-7/22/2004/1/2.—श्री एन. के. असवाल, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग को दिनांक 06-07-2009 से 14-07-2009 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 05-07-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री असवाल, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री असवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री असवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2009

क्रमांक 1796/1223/2009/1/2.—इस विभाग के आदेश दिनांक 25-06-2009 के द्वारा श्री संजय गर्ग, भा. प्र. से., कलेक्टर, जिला रायपुर को दिनांक 24-06-2009 से 30-06-2009 तक (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री गर्ग, भा. प्र. से. को दिनांक 01-07-2009 से 04-07-2009 तक (04 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 5-7-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2009

क्रमांक ई-7/11/2007/1/2.—श्री एस. भारती दासन, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, कबीरधाम को दिनांक 01-06-2009 से 12-06-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 31-05-09 एवं 13, 14 जून, 09 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. भारती दासन, आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, कबीरधाम के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एस. भारती दासन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. भारती दासन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2009

क्रमांक ई-7/2/2006/1/2.—श्री एस. आर. ब्राहम्णे, भा. प्र. से., अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग, बिलासपुर को दिनांक 22-06-2009 से 29-06-2009 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 जून, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ब्राहम्णे, आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, बिलासपुर/सरगुजा संभाग, बिलासपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ब्राहम्णे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ब्राहम्णे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2009

क्रमांक/एफ-1/11/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 11-06-2009 जिसके द्वारा श्री ए. के. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ. ग. को खंड वर्ष 2006-09 में सपरिवार भारत में किसी भी स्थान के अंतर्गत दिनांक 08-06-2009 से दिनांक 12-06-2009 तक कुल 05 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 07-06-2009 एवं दिनांक 13-14 जून 2009 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करते हुए बिनसार, नैनीताल, जिमकारबेट पार्क (उत्तराखंड) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा (एल. टी. सी.) की स्वीकृति प्रदान की गई थी, को निरस्त करता है.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2009

क्रमांक/एफ-1/04/दो गृह/भापुसे/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 27-05-2009 जिसके द्वारा श्री आर. के. भेड़िया, भापुसे सेनानी, प्रथम वाहिनी, छ. स. बल, भिलाई को दिनांक 18-05-2009 से 30-05-2009 तक कुल 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया था, को निरस्त करता है.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2009

संशोधन आदेश

क्रमांक/एफ-1/48/दो गृह/भापुसे/2001.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15-05-2009 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री गिरिधारी नायक, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छ. स. बल/प्रशि./दू. सं., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 18-05-2009 से दिनांक 02-06-2009 कुल 16 दिवस के स्थान पर दिनांक 18-05-2009 से 01-06-2009 तक कुल 15 दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2009

क्रमांक 4447/1554/21-ब/छ. ग./2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री चन्द्र शेखर प्रसाद कुशवाहा, द्वारा नोटरी तहसील भैयाथान जिला सरगुजा (अंबिकापुर) से नोटरी के पद से त्याग पत्र दिये जाने के फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 (क) के अंतर्गत उक्त नोटरी का नाम नोटरी रजिस्टर से हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2009

क्रमांक 1211/1375/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक/2478/1375/32/2006 दिनांक 12-12-2006 द्वारा भिलाई-दुर्ग विकास योजना (भाग-2) में निम्नानुसार भूमि उपयोग उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

भिलाई-दुर्ग विकास योजना (भाग-2) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	अंगीकृत विकास योजना के अनुसार भूमि का उपयोग	उपांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दुर्ग	सर्वे क्र. 1/1 पार्ट	25,600 वर्गफुट (0.59 एकड़)	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	वाणिज्यिक

सूचना में उल्लेखित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है. अत: राज्य शासन अधिनियम की धारा 23-क की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये एतद्द्वारा भिलाई-दुर्ग विकास योजना (भाग-2) में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. इस प्रकार किया गया यह उपांतरण भिलाई-दुर्ग विकास योजना (भाग-2) का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 26 जून 2009

क्रमांक 02 अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	आमदी	1.54	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी संभाग-धमतरी.	भानपुरी-आमदी मार्ग निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 जुलाई 2009

क्रमांक /4936/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	रेंगाकठेरा प. ह. नं. 14	6.764	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला-बैराज की बांयी तट मुख्य नहर के रेंगाकठेरा लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 जुलाई 2009

क्रमांक /4937/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	मनगटा प. ह. नं. 16	3.69	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	बोरई डायवर्सन के अन्तर्गत बांधपार एवं डुबान हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	खम्हार प. ह. नं. 04	0.251	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	साजादरहा व्यपवर्तन योजना डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	घोंचल प. ह. नं. 04	5.216	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़ (छ. ग.)	चपटानाला व्यपवर्तन योजना की दायीं एवं एवं बायीं मुख्य नहर का माइनर नंबर 1 के लिए भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	केराकछार	3.85	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	लिटियाखार जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894)संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	जमनीपाली	0.09	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) कोरबा.	सड़क निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	आमाखोखरा	9.49	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कोरबा.	कटघोरा डायवर्सन शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 जून 2009

क्रमांक 142/भू-अर्जन/वाचक/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-राजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बादा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.339 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
792	0.056
297/3	0.032
796	0.105
791/1	0.073
795	0.073
योग 5	0.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गागर व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 जून 2009

क्रमांक 146/भू-अर्जन/वाचक/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-राजपुर

(ग) नगर/ग्राम-बरियों, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.446 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1983	0.081
1982	0.024
2227/3	0.032
2227/4	0.032
1973	0.141
1981	0.136
योग 6	0.446

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गागर व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 25 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2007-2008 .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-केराकछार, प. ह. नं. 45

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.27 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
647	1.57
705/2	0.70
योग 2	2.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लिटियाखार जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-लिटियाखार, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 6.37 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
33/2	1.72
43/1	0.40
42/4	0.55
47	1.00
46/1	0.36
46/2	0.36
42/2	0.36
42/3	0.30
48	0.70
49	0.10
43/2	0.10
43/3	0.05
38, 39	0.10
329/2	0.27
योग 14	6.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लिटियाखार जलाशय योजना के उलट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पाली

(ग) नगर/ग्राम-मुरली, प. ह. नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.47 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
249, 250	0.07
408	0.07
201/2	0.06
243	0.22
254/1,258	0.39
409	0.09
407	0.09
387, 406	0.23
383	0.23
487	0.20
384	0.10
624	0.04
603	0.13
545/2	0.11
545/1	0.14
523/1	0.11
535	0.18
543	0.09
579	0.03
1291/1	0.39
1292/1	0.21
1305	0.12
166	0.07
1388/1	0.05
1299	0.11
1315	0.10
1369	0.09
1368	0.06
1360	0.13
1358	0.23
1361	0.23
1355/2	0.05
1292/2	0.05
योग 33	4.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सलिहापारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-पाली
(ग) नगर/ग्राम-उतरदा, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.31 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1892/6,1892/7	0.14
1892/13	0.08
1892/14	0.06
1892/12	0.10
1892/11	0.08
1894	0.45
1890/3	0.30
1889	0.09
1888	0.09
1881	0.08
1882	0.07
1884	0.08
1883	0.07
1742/1, 1742/2	0.25
1748	0.17
1754	0.15
1753	0.12
1765	0.40
1766	0.12
1590	0.35
1588	0.06
योग 21	3.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बनमूंडा जलाशय योजना नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-पाली
(ग) नगर/ग्राम-भलपहरी, प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
258	0.45
652	0.18
251/1, 252/1	0.30
251/2, 252/2	0.30
285/11	0.15
285/2	0.10
285/3	0.15
261/2	0.15
262	0.25
योग 9	2.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भलपहरी जलाशय योजना के नहर एवं उलट कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

कबीरधाम, दिनांक 29 जून 2009

क्रमांक 546/ख.लि./09.— छ. ग. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 12 के तहत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला कबीरधाम छ. ग. में नीचे दी गई तालिका में घोषित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति के छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन होने के 30 दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु उपलब्ध होगे.

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम	ख. क्र.	रकबा	खनिज	भूमि
(1)	कबीरधाम	कवर्धा	मानपुर	129/14	0.364	चूना	निजी
				129/15	0.394	पत्थर	खाताधारी
				129/25	0.394		श्री विजय
							अग्रवाल,
				योग	1.152 हे.		कलकत्ता

नोट - वर्णित क्षेत्रफल में श्रीमति सतवंत कौर को खदान स्वीकृत रही. लगभग 0.157 हे. पर पूर्ण विकसित खदान हैं.

जे. के. ध्रुव,
अतिरिक्त कलेक्टर.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जगदलपुर, जिला बस्तर

प्रारूप - ख
[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

जगदलपुर, दिनांक 29 जून 2009

क्रमांक 9/अ. वि. अ./भू. पा. ला./अ-82/2008-09.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी), तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम सिरिसगुड़ा, तहसील तोकापाल, जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक टाटा स्टील संयंत्र द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए उसे भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	तोकापाल	गुमियापाल	200 में से	0.020
			202/1 में से	0.032
			202/2 में से	0.032
			202/3 में से	0.032
			202/4 में से	0.32
			202/5 में से	0.031
			202/6 में से	0.031
			203 में से	0.060
		योग	8	0.27

जगदलपुर, दिनांक 29 जून 2009

प्रारूप - ख
[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 10/अ. वि. अ./भू. पा. ला./अ-82/2008-09.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी), तहसील जगदलपुर जिला बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम सिरिसगुड़ा, तहसील तोकापाल, जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक टाटा स्टील संयंत्र द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकर एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए उसे भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	तोकापाल	साकरगॉव	192 में से	0.23

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			207 में से	0.05
			208 में से	0.05
			217 में से	0.04
			224 में से	0.05
			225 5 में से	0.02
			226 6 में से	0.04
			227 में से	0.02
			229 में से	0.06
			230 में से	0.01
			244 में से	0.06
			246 में से	0.02
			252 में से	0.04
			254 में से	0.03
			255 में से	0.03
			253 में से	0.07
			261 में से	0.06
			262 में से	0.02
			284 में से	0.09
			285 में से	0.02
			408 में से	0.05
			417 में से	0.01
			418 में से	0.05
			419 में से	0.01
			425 में से	0.11
			426 में से	0.06
			437 में से	0.09
			438 में से	0.04
			450 में से	0.01
		योग	29	1.44

जगदलपुर, दिनांक 29 जून

प्रारूप - ख

[नियम-5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 11/अ. वि. अ./भू. प्रा. ला./अ-82/2008-09.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तिरिया वन ग्राम (कोलाब नदी), तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम सिरिसगुड़ा, तहसील तोकापाल, जिला बस्तर में प्रस्तावित जलाशय तक टाटा स्टील संयंत्र द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकर एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए उसे भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बस्तर	तोकापाल	बुरजी	64 में से	0.26
			68 में से	0.13
		योग	**2**	**0.39**

जोगेन्द्र नायक,
सक्षम प्राधिकारी/
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)